

संख्या 47-19/2013/एन.डी.एम-II
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन विभाग)

'बी' विंग , तीसरी मंजिल
एन.डी.सी.सी.-II, नई दिल्ली -110003
दिनांक 29 जुलाई, 2013

सेवा में,

✓ श्री गौतम घोष,
उप सचिव,
डी.एम.-I विभाग
'बी' विंग , तीसरी मंजिल
एन.डी.सी.सी.-II, नई दिल्ली -110003

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी की मांग हेतु श्री आर. एस. सोनी का आवेदन पत्र।

महोदय,

यह सचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी की मांग हेतु श्री आर. एस. सोनी का आवेदन पत्र प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 10.07.2013 को प्रेषित किया गया है जो इस कार्यालय को दिनांक 24.07.2013 को प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा निम्न बिन्दुओं के विषय में जानकारी मांगी गई है:-

क्रम सं.	मांगी गई जानकारी
1.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समिति) का गठन किस दिनांक को हुआ। इसका अध्यक्ष , सचिव का नाम बतायें। और इस के कुल कितने सदस्य हैं।
2.	इस समिति का वार्षिक खर्च 2009-10 से 2013 तक वर्षवार अलग राशि की जानकारी दें।
3.	दिनांक 1.4.2013 से दिनांक 15.6.2013 तक कुल कितना खर्च हुआ और दिनांक 16.6.2013 को कितनी राशि शेष उपलब्ध थी।
4.	गठन के दिनांक से अभी तक कुल कितनी बैठकें हुईं।
5.	दिनांक 1.4.2013 से 15.6.2013 के बीच किस दिनांक को बैठक हुई।
6.	उत्तराखंड तीर्थ यात्रियों की बचाव की क्या तैयारी थी।
7.	कितने तीर्थ यात्रियों की मौत हुई।

2. उक्त विषय पर मांगी गई सूचना के सम्बंध में यह कहना है की मांगी गई सूचना बिन्दू 7 आपदा प्रबंधन विभाग-I से सम्बंधित है अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इस आवेदन को आपदा प्रबंधन विभाग-I को आगे कि कार्यवाई हेतु स्थांतरित किया जाता है। और आपसे अनुरोध है की इस सम्बंध में आप आवेदक को सूचना से अवगत करायें।

3. श्री जी.टी.वी. सरमा (संयुक्त सचिव),
आपटा प्रबंधन विभाग
बी. विंग. 3 फ्लोर.
एन.डी.सी.सी. टावर.
जै सिंग रोड . नई दिल्ली -110001
दूर भाष: 011-8087
फैक्स नं: 011-23438121
Email- js(dm)@nic.in (सूचना के अधिकार अधिनियम , 2005 के तहत अपील/अधिकारी)



(अशोक शुकला)

उप सचिव एवं जन सूचना अधिकारी, आ.प्र.वि.-II
दूर भाष सं०- 23438071

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. श्री एस. सामंत , अवर सचिव , आर.टी.आई.अनुभाग , गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. श्री सैयद इकराम रिज़वी, उप सचिव एवं के.लो.सू. अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. श्री आर.एस.सोनी, 302 सिद्धि विनायक एन्क्लेव, जै बिल्डर्स कॉलोनी, रानी सती गेट, बाय.एन. रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश - 452 003।

F No 47/19/2013

DS/DS DM
23/7

Sl No. 1 (C)

आर टी आई नामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 18/07/2013

कार्यालय चापन

आर. एम. सोनी

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती आर. एम. सोनी दिनांक: 01/07/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक: 16/07/2013 को प्राप्त) को श्री/श्रीमती प्रभाग को अश्रेणित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अश्रेणित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक: 1/2013 की रसीद के तहत जमा कर दिया है (संबन्ध) नहीं किन्तु है क्योंकि वह बी पी एस श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

आर. एम. सोनी
सु. सामंत
(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती
गृह मंत्रालय
एनडीसीसी-II, जयपुर
जयपुर

may like to deal

23.7.13

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/श्रीमती/श्री/श्रीमती आर. एम. सोनी
302, फाई विंग, जयपुर
जयपुर

DS(DM-II)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

C-133133/14/13
11.07

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

संख्या आरटीआई/3154/2013-पीएमआर

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांक: 10/07/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री आर.एस. सोनी से प्राप्त दिनांक 1.7.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 5.7.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

4611/RTI/2013
18/7/13

18/7/13
(सैयद इकराम रिजवी)

उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

AS to info
8/12/13

JS(A)

✓ गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री आर.एस. सोनी
302 सिद्धि विनायक इन्क्लेव
जय बिल्डर्स कालोनी
रानी सती गेट, बाय.एन. रोड
इन्दौर, मध्य प्रदेश - 452 003

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु
उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

~~JS(A)~~

8/12/13

13/7/13
50 (RTI)
16/7

Dir (Dm)

3154/13 - 8 July 13

3154/13

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
जानकारी माँगे जाने का आवेदन - पत्र

75 2013

1. आवेदक का नाम डॉ. आर.एस. खोनी
2. आवेदक का पूर्ण पता 302 सिद्धि विनायक इन्वलेव, जय बिल्डर्स कॉलोनी
रानी सती गेट वाय.एन. रोड इन्दौर (मध्य प्रदेश) पिन-452003
3. आवेदक का फोन नम्बर 09893097153
4. आवेदन प्रस्तुत किये जानेवाले कार्यालय प्रमुख का पद नाम एवं पता जन सूचना अधिकारी
पुधानमंत्री सचिवालय भारत सरकार नई दिल्ली
5. आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक 25/06/2013 ~~26/06/2013~~ 01/07/2013
6. माँगी गई जानकारी का विवरण राष्ट्रीय आण्डा प्रबंधन प्राधिकरण (नार्मि) का गठन किस
दिनांक की हुआ इसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव का नाम बताएं और इसके द्वारा कितने सदस्य हैं
(2) इस समिति का वार्षिक खर्च 2009-10 से 2013-13 वषरों के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय जानकारी है।
(3) दिनांक 1/4/13 से दिनांक 1/6/13 तक कुल कितना खर्च हुआ और दिनांक 1/6/13 के दिनांक के लिए विशेष
उपलब्ध था। (4) गठन के दिनांक से अभी तक कुल कितनी बैठकें हुई हैं। (5) दिनांक 1/6/13 से 1/6/13 के बीच
किस दिनांक की बैठक हुई। (6) उत्तराखण्ड की प्रशासकों की संख्या कितनी थी कि कैसे समझाया
क्या आवेदक बी.पी.एल. का सदस्य है नहीं हैं/नहीं किस भारी वार्षिक की जानकारी किस
बी.पी.एल. के अतिरिक्त अन्य आवेदक को 10 रुपये का नानज्युडी शिथल स्टाम्प सलमन करे। तथा की बात हुई।
जानकारी डाक से प्राप्त करने हेतु स्वयं का नाम पता लिखा एवं डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा संलग्न
करें। संलग्न पोस्टल कार्ड और खर्च का पता लिखा (डाक टिकट सहित) लिफाफा है।
(उपरोक्त सभी जानकारी पत्र लिखकर देने की जाए है)

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक 25/6/13 01/07/2013

पावती

आवेदक श्री पता से सूचना
अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक को प्राप्त हुआ एवं जानकारी
आनुमानित दिनांक तक दी जा सकेगी।


हस्ताक्षर
पदमुद्रा
दिनांक

URGENT
RTI ACT
Dist. No. 10328
& Date. 05/07/13
Last Date
For Disposal 10/07/13

78 2641
10. 600 337603 4 रु 5
337604 4 रु 5
10

संख्या.40-12/2013-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी-11 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
दिनांक 29 जुलाई, 2013



सेवा में,

डा0 आर0एस0 सोनी,
302 सिद्धि विनायक इनक्लेव,
जय बिल्डर्स कालोनी, रानी सती गेट,
बाया एन0 रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452003

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 29.07.13, को प्राप्त आपके दिनांक 18.07.13 के आर.टी.आई आवेदन का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तराखंड से संबंधित सूचनाएं (जानकारीयां) मांगी गई हैं।

2. बिन्दु संख्या 6 एवं 7 के सन्दर्भ में यह कहना है कि विप्राकृतिक आपदाओं के आने पर आवश्यक बचाव एवं राहत कार्य करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती है। राहत का वितरण करने का उत्तरादायित्व भी संबंधित राज्य सरकार का है। स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपेक्षित संभारतंत्र संबंधी एवं वित्तीय सहायता मुहैया करवा कर भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार के प्रयासों में समय-समय पर मदद करती रहती है।

3. उत्तराखंड राज्य से उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार राज्य में आई विप्राकृतिक त्रासदी में हुए नुकसान का विवरण जो दिनांक 20.07.13 तक प्राप्त हुआ है, निम्नप्रकार से है:-

- (i) विभिन्न स्थानों पर फंसे तीर्थ यात्री :- सभी तीर्थ यात्री निकाले जा चुके हैं।
(कुछ व्यक्ति अभी भी बद्रीनाथ जी, गंगोत्री और यमनोत्री में है और वे तब तक रहना चाहते है जब तक पवित्र कपाट, यानि की द्वितीय और तृतीय सप्ताह के नवम्बर, 2013 तक बंद नहीं हो जाते)।
- (ii) सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए :- लगभग 1,08,653
तीर्थ यात्री/यात्रीयों की संख्या (दिनांक 02.07.13 तक)
- (iii) मृतकों की संख्या :- 580 (हेलीकॉप्टर दुर्घटना के 20 पीड़ितों सहित)
- (iv) घायलों की संख्या :- 4473
- (i) लापता व्यक्तियों की संख्या :- लगभग 5526(वे आकड़े निश्चित तौर पर फक्के नहीं है वे विभिन्न साधनों द्वारा जुटाये/प्राप्त किये गये है।)

4. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री जी.वी.वी.सर्मा, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.- ॥ भवन,
जयसिंह रोड,
नई दिल्ली-110001

जी घोष

(गौतम घोष)

उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी एम- १)
टेलीफोन-23438123

प्रतिलिपि संलग्नको सहित निम्नलिखित को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड सरकार, } उक्त आवेदक के आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा
6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि
आवेदन पत्र के बिन्दुओं में मांगी गई सूचना सीधे उपलब्ध कराये और
उसकी एक प्रतिलिपि इस मंत्रालय मंत्रालय को भी भेजने का श्रम करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु:-

1. प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री सैयद इकराम रिज़वी, उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। (आपके कार्यालय ज्ञापन संख्या- आर.टी.आई/3134/2013-पीएमआर दिनांक 10.07.13)
2. एन.डी.एम.- ॥ अनुभाग, (श्री अशोक शुक्ला, उप सचिव) डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी- ॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली (आपके पत्र संख्या 47-14/2013-एन.डी.एम- ॥ दिनांक 15.07.13)।

31/7/13